"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त 2017—श्रावण 13, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, भा.प्र.से. (2014), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड, जिला-बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 20-87/2012/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-12-2012 द्वारा जारी "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 9.4 (4) के वर्तमान पैरा को निम्नलिखित पैरा से प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात् :—

9.4 (4) — "कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण इकाईयों को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/इकाई/राज्य के बाहर से सर्वप्रथम कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से पांच वर्ष तक के लिए कृषि उत्पादों (परिशिष्ट एक में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जावेगी, छूट की अधिकतम सीमा प्रसंस्करण इकाई द्वारा किये गए स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के बराबर होगी."

ये संशोधन दिनांक 01-11-2012 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष कुमार भट्ट, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-2/2002/छः/11 दिनांक 07-01-2003 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002" में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त भण्डार क्रय नियम में,—

(एक) नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाये :—

(अ) "परंतु परिशिष्ट-1 में अंकित वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी (DGS&D) की जेम वेबसाईट (Gem Web-Site) में उपलब्ध हो, हेतु छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) द्वारा नया रेट कॉन्ट्रेक्ट (Rate Contract) नहीं किया जायेगा."

(ब) "परंतु शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों, जिला एवं जनपद पंचायतों तथा नगरीय निकायों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामग्री के क्रय संबंधित नीति, नियम एवं प्रक्रिया तथा आवश्यक होने पर दर निर्धारण का कार्य इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जायेगा. इस हेतु सामग्री की सूची का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जा कर भण्डार क्रय नियम, 2002 का परिशिष्ट-3 जारी किया जायेगा."

(दो) नियम 4.3.1 की अंतिम पंक्ति में रुपये "5000" को रुपये "10,000" (रुपये दस हजार) से प्रतिस्थापित किया जाए.

(तीन) नियम 4.3.2 की द्वितीय पंक्ति में रुपये "5001" से 50,000" को रुपये "10,001 से 1,00,000 (रुपये दस हजार एक से रुपये एक लाख) से प्रतिस्थापित किया जाए.

(चार) नियम 4.3.2 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएं :—

"परंतु, वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो, का क्रय क्रेता विभाग आवश्यकतानुसार जेम वेबसाईट (Gem Web-Site) से उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग जेम वेबसाईट में संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण, विक्रेता की साख एवं एल 1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा."

(पांच) नियम 4.3.3 में जहां निविदा का अनुमानित मूल्य कॉलम में उल्लेखित "रुपये 50,001 से 2.00 लाख" को "रुपये 1,00,001 से 2.00 लाख" (रुपये एक लाख एक से रुपये दो लाख) से प्रतिस्थापित किया जाये.

(छ:) नियम 4.3.3 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएं :—

"परंतु, वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो, का क्रय उक्त खुली निविदा पद्धति या जेम पर उपलब्ध ई-बिडिंग (E-bidding) अथवा रिवर्स आक्शन (Reverse auction) प्रक्रिया से आवश्यकता अनुसार क्रय कर सकेगा.

(सात) नियम 13.2 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 13.3 अंत:स्थापित किया जाये :—

13.3 भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 33 (3)/2013-IPHW दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 एवं इस हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक 16 नवम्बर, 2015 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के क्रय में आरक्षण प्रतिशत, निर्माण में स्थानीय इकाई में निर्मित घटक (देशीकरण) का प्रतिशत तय करते हुए नियम तथा प्रक्रिया बनाने का कार्य एवं यदि आवश्यक हो तो दर निर्धारण का कार्य इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा.

उक्त संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 20-23/2016/11/(6).—औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के अंतर्गत अधिसूचित "प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान योजना" को दिनांक 01 नवंबर, 2014 से क्रियान्वित करने हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम 2014" निम्नानुसार लागू करता है :—

1. **परिचय :—** राज्य के उद्योगों में उच्च तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति 2014-19 में प्रौद्योगिक क्रय अनुदान योजना का प्रावधान है. इस योजना के अंतर्गत एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय करने पर अनुदान दिया जायेगा. इस योजना के अंतर्गत संतृप्त/अपात्र उद्योगों को छोड़कर अन्य पात्र नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट्स व अल्ट्रा प्रोजेक्ट्स के उद्योगों को अनुदान की पात्रता होगी.

2. **परिभाषाएं :—** इस योजना के अन्तर्गत नवीन उद्योग, विद्यमान उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स, अल्टा मेगा प्रोजेक्ट्स, वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, सामान्य वर्ग, अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले निवेशक/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक महिला उद्यमी/सेवानिवृत्त सैनिक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमी, नि:शक्त महिला उद्यमी, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार "कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारी तथा राज्य के मूल निवासी एवं इस अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अन्य परिभाषाएं, वही होगी जो औद्योगिक नीति 2014-19 के "परिशिष्ट-1" पर दी गयी है.

3. **नियम :—** "प्रौद्योगिकी क्रय योजना" को क्रियान्वित करने के लिये बनाया गया यह नियम "छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम 2014" कहलायेगा.

4. **पात्रता :—**

4.1 औद्योगिक नीति 2014-19 की कालावधि दिनांक 01-11-2014 से 31-10-2019 तक की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले उपाबंध-2 में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर अन्य नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों एवं वृहद उद्योगों तथा मेगा प्रोजेक्ट्स व अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को उनके द्वारा अपने उद्योग में एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केंद्रों से प्रौद्योगिकी का क्रय कर उस प्रौद्योगिकी का उद्योग में उपयोग करने पर प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान की पात्रता होगी.

4.2 औद्योगिक इकाईयों को प्रौद्योगिकी क्रय करने के दिनांक या संबंधित अनुदान नियम की अधिसूचना के जारी होने के दिनांक, जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष की कालावधि के भीतर आवेदन करना होगा.

4.3 उद्योग में प्रौद्योगिकी क्रय करने के दिनांक या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चात्वर्ती हो, से न्यूनतम 05 वर्ष तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम 33 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करने पर ही प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान की पात्रता होगी.

4.4 औद्योगिक इकाई के द्वारा यदि भारत शासन उद्योग मंत्रालय, अन्य मंत्रालय/राज्य शासन के किसी विभाग/एजेन्सी/वित्तीय संस्थाओं से प्रौद्योगिकी क्रय पर अनुदान प्राप्त किया हो तो उन्हें इस प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान की पात्रता नहीं होगी.

4.5 शासकीय अनुसंधान केन्द्रों एन.आर.डी.सी. से प्रौद्योगिकी क्रय पर ही अनुदान की पात्रता होगी.

4.6 क्रय की गई प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल स्वयं के उद्योग में ही करना होगा.

5. **प्रक्रिया व अधिकार :—**

5.1 पात्र औद्योगिक इकाईयों को "उपाबंध-1" अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति "उपाबंध-4" में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन के पंजीयन क्रमांक सहित दी जावेगी. अपूर्ण आवेदन एक बार में ही कमियां बताते हुए वापिस किये जावेंगे व प्रकरण पूर्णरूपेण प्राप्त होने के उपरांत आवेदन पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति दी जावेगी.

(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-1/आई.ई.एम/औद्योगिक लायसेंस/उद्योग आधार कार्ड ज्ञापन या राज्य शासन द्वारा निर्धारित अन्य वैकल्पिक प्रमाण पत्र, जैसा भी लागू हो.

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-2, उद्योग आधार कार्ड एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जैसा भी लागू हो.

(3) व्यय से संबंधित चार्टर्ड एकाउण्टेंट का "उपाबंध-3" में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र.

(4) प्रौद्योगिकी क्रय से संबंधित अनुबंध/देयक तथा उनकी राशि संबंधित संस्था को देने के प्रमाण आदि.

(5) निवेशक के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत उद्यमियों से संबंधित प्रमाण पत्र.

5.2 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत एवं उद्योग में क्रय की गयी प्रौद्योगिकी स्थापित करने के पश्चात् पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा. पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा "उपाबंध 4" अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति दी जावेगी.

5.3 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में प्रस्तुत स्वत्व का परीक्षण मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा "उपाबंध 5" के अनुसार सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से कराकर "स्वत्व" के नियमों के अधीन होने पर "उपाबंध-6" अनुसार निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा.

स्वत्व नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के ''निरस्तीकरण'' का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति अपीलीय अधिकारी को निर्धारित अवधि 45 दिवसों में अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा.

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न उद्योगों के प्रकरणों को मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अपनी टीप एवं अनुशंसा के साथ उद्योग संचालनालय प्रेषित किया जावेगा जिनका निराकरण उद्योग आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा किया जावेगा. ''स्वत्व'' के नियमों के अधीन होने पर ''उपाबंध-6'' अनुसार निर्धारित प्रारूप पर ''स्वीकृति आदेश'' जारी किया जावेगा. स्वत्व नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के ''निरस्तीकरण'' का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति अपीलीय अधिकारी को निर्धारित अवधि 45 दिवसों में अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा.

5.4 प्रौद्योगिक क्रय अनुदान के बजट का आवंटन उद्योग संचालनालय द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग तथा बजट उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा.

5.5 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बजट आवंटन उपलब्ध होने पर ही औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी. अनुदान का वितरण ''अनुदान स्वीकृति'' के दिनांक के क्रम में किया जावेगा.

5.6 बजट आबंटन उपलब्ध होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक को अनुदान की राशि सीधे औद्योगिक इकाई के खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी.एस. (रियल टाइम ग्रास सेलटमेंट) पद्धति अथवा तत्समय इकाई के खाते में सीधे अनुदान जमा करने की पद्धति अनुसार प्रेषित की जावेगी जिसे संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के खाते में जमा करना होगा. अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी.

5.7 बजट आवंटन के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा.

5.8 राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार का सत्यापन प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा-रा/2005/9766-81, दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार की जावेगी.

6. **अनुदान की मात्रा :—**

6.1 औद्योगिक इकाई द्वारा प्रौद्योगिकी क्रय करने एवं उसका स्थापना/प्रयोग अपने उद्योग में करने के उपरांत सामान्य वर्ग के उद्यमियों को किये गये व्यय का 50 प्रतिशत, अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले उद्यमी को किये गये व्यय का 55 प्रतिशत एवं महिला उद्यमी/भारतीय सेना से, सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तियों निःशक्तों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी.

अनुदान की अधिकतम सीमा सामान्य वर्ग के उद्यमियों हेतु रु. 5.00 लाख, अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले उद्योगों के लिये रु. 5.25 लाख एवं निःशक्तों/महिला उद्यमी/भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तियों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु रु. 5.50 लाख होगी.

6.2 औद्योगिक नीति 2014-19 की कंडिका 15.20 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में नवीन भू-आवंटन प्राप्त करने वाले उद्योगों को उपरोक्त से 10 प्रतिशत अधिक दर से अनुदान प्राप्त होगा.

6.3 प्रौद्योगिकी क्रय में सम्मिलित है— प्रौद्योगिकी क्रय हेतु एन.आर.डी.सी./भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा अनुमोदित शासकीय अनुसंधान केन्द्रों को भुगतान की गई राशि, प्रौद्योगिक क्रय हेतु किये गये अनुबंध व अनुबंध के पंजीयन पर किया गया शुल्क, प्रशिक्षण व्यय, कंसल्टेंसी कंपनी को दिया गया शुल्क एवं प्रौद्योगिकी स्थापना हेतु किया गया व्यय की राशि.

7. **अनुदान की वसूली—**

7.1 प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के स्वीकृत/वितरण पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए हैं, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से की जा सकेगी.

7.2 स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात् भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं यदि अनुदान की राशि वित्तीय संस्था/बैंक/इकाई को भुगतान कर दी गई हो तो भी वसूली आदेश जारी कर सकें.

7.3 औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात् यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता, निकाला जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त कंडिका क्रमांक 4(3) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि से संबंधित स्वत्व को निरस्त कर वापस प्राप्त की जा सकेगी, भविष्य के क्लेमों में समायोजित की जा सकेगी.

7.4 यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत निवेशक से वर्ग से संबंधित प्रमाण-पत्र/तथ्य गलत पाये जाते हैं तो इस वर्ग के उद्यमी के रूप में दी गई अधिक अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी.

7.5 उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा योजना से संबंधित या अन्य कोई जानकारी/अभिलेख मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न देने पर दिया गया अनुदान वसूली योग्य होगा.

7.6 यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो.

7.7 उपरोक्तानुसार वसूली राशि भू-राजस्व के बकाया की वसूली के सामान की जा सकेगी.

7.8 उपर्युक्त बिन्दु 7.1 से 7.7 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये जाऐंगे.

8 **अपील/वाद—**

8.1 मुख्य महाप्रबंध/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ को की जा सकेगी.

8.2 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी. उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा जारी किसी मूल आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जावेगी. अपीलीय अधिकारी के रूप में उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील (मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित मूल आदेशों के संबंध में) राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी.

8.3 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रुपये 1000 एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रुपये 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी. अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा अर्थात द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा.

8.4 अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा एवं चालान की प्रति अपील के साथ संलग्न की जायेगी.

8.5 अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा. अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा.

9. **अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :—**

9.1 औद्योगिक इकाई को क्रय की गई प्रौद्योगिकी का उद्योग में उपयोग प्रारंभ करने की दिनांक के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा.

9.2 उपरोक्त (1) की अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्र. 4 (3) में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा.

10. **कार्यकारी निर्देश :—** अधिसूचना के अन्तर्गत आवश्यक कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे. अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्ग दर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा.

11. **स्वप्रेरणा से निर्णय :—** राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे/स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा.

12. नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

13. इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा.

14. **योजना का क्रियान्वयन :—** योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

"उपाबंध-1"
(नियम 5.1)
("छत्तीसगढ राज्य प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम 2014" के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र)

1— औद्योगिक इकाई का नाम व पता —
2— निवेशक का वर्ग —
3— फैक्ट्री स्थल —
स्थान —
विकास खंड —
जिला —
4— औद्योगिक इकाई का संगठन —
5— उद्यमी का वर्ग—
6— ई0एम0पार्ट—1 एवं ई0एम0पार्ट—2 कमांक / उद्योग आधार कार्ड / अन्य
7— वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक—
7.1 उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता एवं
7.2 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक —
7.3 स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में) — भूमि
भवन
प्लांट एवं मशीनरी
विद्युत आपूर्ति निवेश
जल आपूर्ति निवेश
8— क्रय प्रौद्योगिकी का विवरण —
1 प्रौद्योगिकी का नाम —
2 प्रौद्योगिकी विकसित करने वाले संस्थान का नाम —
3 प्रौद्योगिकी जिस संस्थान से क्रय की है उस संस्था का नाम —
4 प्रौद्योगिकी क्रय करने का कारण —
5 प्रौद्योगिकी क्रय से इकाई पर पड़ने वाले प्रभाव का विवरण —
6 क्या प्रौद्योगिकी क्रय से रोजगार में कमी आयेगी —
7 अन्य विवरण —
9— प्रौद्योगिकी क्रय पर किया गया व्यय —
1 प्रौद्योगिक क्रय हेतु संबंधित संस्थान को दी गई राशि —
2 प्रौद्योगिकी क्रय के कारण इकाई में किये गये पूंजी निवेश का विवरण —
3 क्या प्रौद्योगिकी क्रय हेतु संबंधित सस्थान को प्रत्येक वर्ष को राशि देना होगा —

10– क्लेम राशि का विवरण – –

11– रोजगार–

अ – प्रौद्योगिकी क्रय करने के पूर्व

श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4
अकुशल वर्ग अ .... ब .... स			
कुशल वर्ग अ .... ब .... स			
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग अ .... ब .... स			
योग			

ब – प्रौद्योगिकी क्रय करने के पश्चात

श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4
अकुशल वर्ग अ .... ब .... स			
कुशल वर्ग अ .... ब .... स			
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग अ .... ब .... स			
योग			

स्थान :
दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता सील

संलग्नः– (1) ई.एम. पार्ट–1
(2) ई.एम. पार्ट–2/ आधार कार्ड
(3) वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र
(4) प्रौद्योगिकी क्रय से संबंधित दस्तावेज।
(5) निवेशक के वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र।
(6) क्रय प्रौद्योगिकी की उद्योग में स्थापना/प्रयोग से संबंधित दस्तावेज।

शपथ–पत्र

मैं .... आत्मज..................................... प्रबंध संचालक / संचालक / एकल स्वामी / साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................... में स्थित है। मेरी इकाई द्वारा धारित प्रमाणपत्रों का विवरण निम्नानुसार है –

1) ई0एम0पार्ट–1 प्रमाण पत्र कमांक ....दिनांक ....

2) ई0एम0पार्ट–2 प्रमाण पत्र कमांक................................दिनांक .... /

3) आधार कार्ड क्र. ....

4) वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक.................. दिनांक .... है

मैं निम्नानुसार घोषणा करता हूँ –

1– मेरी औद्योगिक इकाई ....ने से प्रौद्योगिकी क्रय किया है व इसका उपयोग औद्योगिक इकाई के उद्योग में ही उत्पाद निर्माण/उत्पाद प्रकिया में किया जा रहा है ।

2– यह शपथपूर्वक प्रमाणित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम 2014 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा ।

3– यह भी शपथपूर्वक घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में क्रय प्रौद्योगिकी की स्थापना/प्रयोग के दिनांक या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से न्यूनतम 05 वर्ष तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम 33 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।

4– औद्योगिक इकाई द्वारा प्रौद्योगिकी क्रय हेतु/राज्य शासन के किसी अन्य विभाग/वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है।/अनुदान प्राप्त नहीं किया है ।

या

औद्योगिक इकाई द्वारा प्रौद्योगिकी क्रय हेतु उपरांत भारत सरकार/राज्य शासन के किसी अन्य विभाग/वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु आवेदन किया है /अनुदान प्राप्त किया है।

5– आवेदन पत्र में दी गई जानकारी या उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण/मिथ्या पाये जाने पर अथवा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान स्वीकृति आदेश निरस्त कर अनुदान की राशि वापिसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को स्वीकृत अनुदान राशि मय 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ वापस की जावेगी।

स्थान :
दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

"उपाबंध-2"

औद्योगिक नीति 2014–19 का परिशिष्ट–2

(अ) (संतृप्त उद्योगों की सूची जिन्हें अनुदान की पात्रता नहीं है)

(1) पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग
(2) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस
(3) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग
(4) आरा मिल (सॉ मिल)
(5) लेदर टैनरी
(6) स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना)
(7) किसी भी उत्पाद की रि–पैकिंग
(8) मिनरल वाटर
(9) पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)
(10) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)
(11) चूना निर्माण, चूना पाउडर, चूना चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर
(12) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग / ग्राईडिंग / पलवराइजिंग
(13) स्टोन क्रेशर / गिट्टी निर्माण
(14) स्पंज आयरन
(15) क्लिंकर
(16) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जाये।

(ब) औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में संतृप्त उद्योगों की सूची –

(1) राईस मिल, पेडी परबायलिंग एवं मेकेनाइज्ड क्लीनिंग
(2) हालर मिल
(3) मुरमुरा मिल
(4) राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट
(5) खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई) / रिफाईनरी
(6) मिनी सीमेंट प्लांट
(7) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

टीप – संतृप्त श्रेणी का उद्योग किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में संपूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से संतृप्त श्रेणी के उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

(स) कोर सेक्टर (औद्योगिक नीति 2014–19 का परिशिष्ट–5 कोर सेक्टर की श्रेणी में मेगा / अल्ट्रामेगा प्रोजेक्ट)–

(1) स्टील संयंत्र
(2) सीमेंट संयंत्र
(3) ताप विद्युत संयंत्र
(4) एल्यूमिनियम संयंत्र

उपाबंध-3

[नियम 5.1 (3)]

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)

(लेटर हैड पर मूल प्रति में)

औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................... में स्थित है, जिसका ई. एम. पार्ट–1 कमांक ....दिनांक .... एवं ई. एम. पार्ट–2 प्रमाण पत्र कमांक...............................दिनांक .... / उद्योग आधार कार्ड / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक................. है, ने से प्रौद्योगिकी क्रय दिनांक................................. को किया है, जिस पर दिनांक.................. ....तक किया गया व्यय रूपये.................................(अक्षरों में)........................... है निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है:–

क्र.	प्रौद्योगिकी क्रय पर किया गया व्यय का विवरण	व्यय राशि	भुगतान राशि
1.	2.	4.	5.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	योग		

मै यह प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त जानकारियों का सत्यापन मेरे द्वारा इकाई के लेखों से किया गया है।

स्थान :

दिनांक:

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता सील

हस्ताक्षर

पंजीयन पत्र क्रमांक

"उपाबंध-4"
(नियम 5.1)
(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला....................................

मेसर्स .... पता............................ .... द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम 2014** .... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक.................. ... (अक्षरी)... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन कमांक .. .. है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी/कार्यालय
सील

प्रति,

....
....
....

"उपाबंध 5"
(नियम 5.3)
"छत्तीसगढ राज्य प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम 2014" के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान आवेदन पर निरीक्षण प्रतिवेदन व अभिमत
निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता –
2– फैक्ट्री स्थल–
 स्थान –
 विकास खंड –
 जिला –
3– औद्योगिक इकाई का संगठन–
4– उद्यमी का वर्ग–
5– ई0एम0पार्ट–1 कमांक ....दिनांक ....
 एवं ई0एम0पार्ट–2 प्रमाण पत्र कमांक..............................दिनांक ....
 उद्योग आधार कार्ड क्रमांक
6– वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक–
 6.1 उत्पाद
 6.2 वार्षिक उत्पादन क्षमता
 6.3 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक –
 6.4 स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में) –

7— प्रौद्योगिकी क्रय संबंधी विवरण पर टीप —

8— प्रौद्योगिकी क्रय पर किया गया व्यय—
अ— मान्य व्यय (आईटमवार दें) —
ब — अमान्य व्यय (आईटमवार दें) —
स — अमान्य किये जाने का कारण —

9— उद्योग वर्तमान में चालू/ बंद है ।
(कृपया उद्योग में पिछले त्रैमास में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, उपयोग में लाये गये कच्चे माल की मात्रा, विद्युत खपत, उत्पादित माल की मात्रा तथा जमां किये गये टेक्स की जानकारी के साथ तथा उसके आधार पर बताये)

10— **रोजगार—**

श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4
अकुशल वर्ग अ .... ब .... स			
कुशल वर्ग अ .... ब .... स			
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग अ .... ब .... स			
योग			

11— औद्योगिक इकाई द्वारा क्रय प्रौद्योगिकी का प्रयोग औद्योगिक इकाई के उद्योग में निर्मित उत्पाद/उत्पादन प्रकिया में होने बाबत टीप।

12— औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त किये गये प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान ....पर की गई व्यय राशि में ....रू. मान्य है। अमान्य की गई राशि व उसका कारण निम्नानुसार है :—
1—
2—
3—
4—

13— अभिमत एवं अनुशंसा :

स्थान :
दिनांक :

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम व पद

"उपाबंध-6"

(नियम 5.3)

"छत्तीसगढ राज्य प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम 2014" के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश

उद्योग संचालनालय, (छ.ग.)/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, (छ.ग.)

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम 2014 के नियम कमांक "5.3" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है।

1— औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2— उद्योग का स्वरूप :

3— औद्योगिक इकाई का संगठन— :

4— उद्यमी का वर्ग— :

5— उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता—

6— वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

7— औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल—
(स्थान, विकास खंड व जिला)

8— प्रौद्योगिकी क्रय पर किया गया अनुमोदित व्यय—

9— स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष— .... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी
मांग संख्या— ....
....

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा। इन कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जावेगा तथा दी गई अनुदान राशि वापसी के योग्य होगी।

उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग
मुख्य महप्रबंधक/महाप्रबंधक

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2017

क्र. एफ 23-11/2013/20-3.—छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग की स्थापना, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश क्र. एफ 10-1/2013/1-3 नया रायपुर, दिनांक 20-09-2013 को किया गया है. आयोग का मुख्य कार्य, शिक्षकों की मांगों और विभिन्न शिक्षक संगठन की शिक्षा और शैक्षणिक प्रबंधन से संबंधित मांगों के साथ वेतन विसंगतियों की मांग पर विचार करना है तथा तद्नुसार सिफारिशें करना है. अत: राज्य शिक्षा आयोग की स्थापना हेतु नियम और उसके तत्स्थानी विषयों के लिये उपबंध किये जाने हेतु नियम निम्नानुसार है :—

नियम

अध्याय-1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग नियम, 2017 कहलायेंगे.

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **उद्देश्य.—** शिक्षा के उद्देश्य, आयोग के उद्देश्य होंगे.

3. **परिभाषाएं.—** इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) "आयोग" से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश द्वारा स्थापित किये गये छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग;

   (ख) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है आयोग का अध्यक्ष;

   (ग) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (घ) "सदस्य" से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य;

   (ङ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;

   (च) "सचिव" से अभिप्रेत है आयोग का सचिव.

अध्याय-2
राज्य शिक्षा आयोग

4. **राज्य शिक्षा आयोग की स्थापना.—**
   (1) शासन, राज्य शिक्षा आयोग के रूप में ज्ञात एक निकाय स्थापित करेगा, जो इन नियमों के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निष्पादन करेगा. आयोग का विस्तार तथा कार्यक्षेत्र, संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

   (2) आयोग में समाविष्ट होंगे :—
      (क) राज्य शासन द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, जो शिक्षकों के हित के लिए समर्पित हो.

      (ख) विशेष अनुभवी शिक्षकों के बीच से राज्य शासन द्वारा दो अशासकीय सदस्य नियुक्त किये जायेंगे. जिनमें से कम से कम एक सदस्य, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित होंगे.

      (ग) राज्य शासन द्वारा, एक पदेन सदस्य सचिव, जो कम से कम द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी होना चाहिये, नियुक्त किया जयोगा.

5. **अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों के लिये निबंधन तथा शर्तें.—**

(1) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, तीन वर्ष की कालावधि के लिए या जैसा कि शासन द्वारा अवधारित किया जाये, पद धारण करेंगे.

(2) अध्यक्ष या कोई भी सदस्य, शासन को लिखित त्यागपत्र प्रस्तुत करके पद से त्यागपत्र दे सकेगा.

(3) शासन, आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगा, यदि यथास्थिति, ऐसा अध्यक्ष या सदस्य,—

(क) किसी भी समय दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत है या हो गया है; या

(ख) आपराधिक प्रकरणों में कारावास हेतु दोषसिद्ध ठहराया गया हो या शासन की दृष्टि में अनैतिक पाया गया हो; या

(ग) उसने मानसिक संतुलन खो दिया है तथा विधि न्यायालय ने ऐसा घोषित किया हो; या

(घ) कार्य करने से इन्कार कर दिया हो और वह उचित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो; या

(ङ) जिसने शासन की दृष्टि में, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया हो तथा पद में उसकी निरन्तरता लोक हित के विरुद्ध पायी गयी हो.

(4) किन्तु किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे राज्य के समक्ष सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो.

6. **आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी.—**

(1) आयोग की संरचना ऐसी होगी, जैसा कि आयोग की सहमति से शासन द्वारा अवधारित किया जाये तथा जो इन नियमों के अंतर्गत उसके कृत्यों तथा कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो.

(2) लोक शिक्षण संचालक, शासन द्वारा नियमित रूप से नियुक्ति किये जाने तक प्रतिनियुक्ति पर अपेक्षित योग्यता के, आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त करेगा.

(3) आयोग के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसे कि राज्य शासन में उनके समकक्षों के हों.

(4) आयोग के सचिव को, यदि यात्रा स्वयं के वाहन द्वारा की गई हो, यात्रा हेतु वाहन भत्ता, विहित नियमों तथा दरों के अनुसार दिया जायेगा.

7. **वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदान से किया जायेगा.—**

(1) आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, अधिकारियों, तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, नियम 14 के उप-नियम (1) के अधीन अनुदान से प्रदान किया जायेगा.

(2) अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधायें ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य शासन द्वारा विहित किया जाये.

(3) आयोग को सलाह देने वाले व्यक्ति का यात्रा भत्ता :— व्यक्ति को आयोग कार्यालय तक या सम्मेलन स्थल तक यात्रा के लिए तथा वापसी यात्रा के लिए थी शासन के ए श्रेणी अधिकारियों के लिए अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा. विशेष मामलों में, आयोग, आयोग में उपलब्ध निधि से उपरोक्त पात्रता के अलावा अतिरिक्त यात्रा भत्ता/सम्मान देने में सक्षम होगा.

8. **आयोग की कार्यवाही, रिक्तियों के कारण अमान्य घोषित नहीं होगी.—** आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही, आयोग के संविधान में किसी भी रिक्ति या किसी भी चूक के कारण अमान्य घोषित नहीं होगी.

9. **अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की आयोग की शक्ति.—**

(1) आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा.

(2) आयोग के समस्त आदेश और कृत्य, सचिव अथवा किसी अन्य अधिकारी, जो इस प्रयोजन के लिये सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो, के द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे.

10. **आयोग की समितियां.—**

(1) आयोग की एक स्थायी कार्यकारिणी समिति होगी, जिसके प्रधान आयोग के अध्यक्ष होंगे.

(2) कार्यकारिणी समिति में, निम्नलिखित पदेन सदस्य सम्मिलित होंगे :—

(क) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अन्य सदस्य.

(ख) संचालक लोक शिक्षण या उसका नामिती.

(ग) शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट (आदिम जाति कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण तथा नगरीय प्रशासन) संबंधित विभाग से तीन अन्य पदाधिकारी.

(3) आयोग के सचिव, कार्यकारिणी समिति के संयोजक के साथ ही सदस्य सचिव होंगे.

(4) कार्यकारिणी समिति के कार्य, आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे.

11. **आयोग की बैठकें.—**

(1) आयोग की बैठक, वर्ष में दो बार आयोजित की जायेगी, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष करेंगे. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चयनित किया जायेगा.

(2) बैठक की तारीख, स्थान एवं समय अध्यक्ष की सहमति से पिछली बैठक में अवधारित अनुसार आयोजित होगी तथा इससे संबंधित सूचना, आयोग के सचिव द्वारा कम से कम 7 दिवस पूर्व प्रेषित की जायेगी.

(3) अध्यक्ष, समय-समय पर, अपेक्षित अनुसार विशेष बैठक आहूत कर सकते हैं, विशेष बैठक, किसी एक सदस्य के निवेदन पर भी आयोजित की जा सकती है, किन्तु बैठक की सूचना तीन दिवस पूर्व देना होगा. बैठक संबंधी सूचना में बैठक का दिनांक, समय एवं स्थान अंतर्विष्ट होंगे.

(4) बैठक की सूचना, अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् सचिव द्वारा दी जायेगी.

(5) प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही मत देने का अधिकार होगा. यदि गणना के पश्चात् वोट समान है, तो अध्यक्ष का वोट अंतिम और बाध्यकारी होगा.

अध्याय-3
आयोग की शक्तियां तथा कार्य

12. **आयोग के कार्य.—**

(1) आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा :—

(क) स्कूल शिक्षा से संबंधित समस्त शिक्षण संवर्गों के वेतन पर विचार/परीक्षण तथा उनमें विसंगतियों एवं छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अनुशंसा सहित सुझाव देना.

(ख) शासकीय शिक्षक संवर्गों की सेवा शर्तों, अवकाश एवं अन्य सुविधाओं के साथ-साथ भविष्य में होने वाले संभावित अन्य विषयों पर विचार/परीक्षण करना तथा अनुशंसा करना.

(ग) शिक्षा, शिक्षण व्यवस्था एवं शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी मुद्दों पर विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न समस्याओं/विषयों पर विचार/परीक्षण तथा छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अनुशंसा करना.

(घ) ऐसे अन्य सभी कार्य, जो राज्य शासन द्वारा उसे सौंपे जायें या जिसे स्वविवेक/स्वसंज्ञान ले सकेगा/प्रस्तुत कर सकेगा तथा उसे अपनी अनुशंसा सहित शासन को प्रेषित करना.

(ङ) आयोग के कार्यक्षेत्र में, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन एवं विकास के समस्त शिक्षक संवर्ग होंगे.

13. **आयोग की शक्तियां.—** आयोग के पास, नियम 11 के उप-नियम (1) के अधीन अपने कार्यों के निष्पादन के दौरान, पालन करते हुये, निम्नलिखित शक्तियां होंगी :—

(क) आयोग के समक्ष किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की पूर्व अपेक्षा करना.

(ख) किसी विधि न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने की अध्यपेक्षा करना.

(ग) विहित अन्य विषय, जैसा कि प्राधिकृत किया जाए.

अध्याय-4
वित्त लेखा तथा संपरीक्षा

14. **राज्य शासन द्वारा अनुदान.—**

(1) राज्य शासन, सम्यक् विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी निधि आवंटित करेगा, जैसा कि इन नियमों के प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जाने के लिए समुचित समझे.

(2) आयोग, इन नियमों के अधीन कार्यों का निष्पादन करने के लिए, निधि की ऐसी धनराशि, जैसा कि वह उचित समझे, का व्यय करने में सक्षम होगा और निधि की ऐसी धनराशि, उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अनुदानों में विचारणीय या सम्यक् रूप से व्यय की जायेगी.

15. **लेखा एवं संपरीक्षा.—** आयोग, समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक अंकेक्षण कराएगा तथा प्रत्येक वर्ष शासन को संपरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

16. **वार्षिक प्रतिवेदन.—** आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके सम्पूर्ण क्रियाकलापों का विवरण सम्मिलित होगा तथा इसकी एक प्रति राज्य शासन को प्रेषित करेगा.

17. **भुगतान प्रक्रिया.—**

(1) आयोग, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक कार्यालयीन बैंक खाता रखेगा.

(2) प्रचलित शासकीय प्रक्रिया के अनुसार सभी देयकों का भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा.

(3) सचिव को, बैंक खाते का संचालन अपने स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा रु. 20000/- तक आहरित करने की शक्ति होगी तथा रु. 20000/- से अधिक की राशि आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा आहरित की जायेगी.

अध्याय-5
प्रकीर्ण

18. **आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी लोक सेवक होंगे.—**

(1) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और पदाधिकारी/कर्मचारी, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अंतर्गत यथा परिभाषित लोक सेवक समझे जायेंगे.

(2) इन नियमों के निर्देश के अधीन आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के द्वारा की गई कार्यवाही के विरुद्ध विधि न्यायालय के अधीन कोई वाद पोषणीय नहीं होगी.

19. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.—** यदि इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य शासन, आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकेगा, जो इसके उपबन्धों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो.

20. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों के अन्तर्गत, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में राज्य शासन द्वारा की गई किसी कार्यवाही को यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के विद्यमान उपबंधों के अधीन की गई है.

No. F 23-11/2013/20-3.—Chhattisgarh State Education Commission has been established vide Order No. F 10-1/2013/1-3 Naya Raipur dated 20-09-2013 issued by the General Administration Department, Government of Chhattisgarh. The main function of the Commission is to consider the demand of pay inconsistencies along with the demands of teacher's and demands related to education and educational management of various teachers organization and make recommendations accordingly. Hence, the rules for the establishment of the State Education Commission and the rules for making provisions for its corresponding subjects are as under:—

RULES

CHAPTER-1
PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.—**
   (1) These rules shall be called the Chhattisgarh State Education Commission Rules, 2017.

   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Objectives.**—The objectives of the education will be the objectives of the Commission.

3. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires.—
   (a) "Commission" means the Chhattisgarh State Education Commission established by the order of General Administration Department;

   (b) "Chairman" means the Chairman of the Commission;

   (c) "Government" means the Government of Chhattisgarh.

   (d) "Member" means the member of the Commission;

   (e) "State" means the State of Chhattisgarh;

   (f) "Secretary" means the Secretary of the Commission.

CHAPTER-2
STATE EDUCATION COMMISSION

4. **Establishment of State Education Commission.—**
   (1) The Government will establish a body known as the State Education Commission which will exercise its powers and execute the functions under these rules. The scope and function of the Commission would be the entire State of Chhattisgarh.

   (2) The Commission shall consist of :—
      (a) A Chairman, appointed by the State Government, who is devoted for the cause of teachers.

      (b) Two non-government members shall be appointed by the State Government from among the vestly experienced, teachers. Among the members at least one of them belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category.

      (c) An ex-officio member Secretary will be appointed by the State Government who at least should be a Class II Gazetted Officer.

5. **Terms and conditions of services for Chairman and its Members :—**

(1) Chairman and the Members of Commission shall hold the office for a period of three years or as may be determined by the Government;

(2) Chairman or any of the Members may resign from the post by submitting resignation to the Government in writing.

(3) The Government may, by order, remove the Chairman or any other Member from office if such Chairman or Member, as the case may be :—

(a) is, or at any time has been, adjudged as an insolvent; or

(b) Has been convicted for cirminal offence for imprisonment or has been found immoral in the eyes of the Government; or

(c) Has lost his/her mental equilibrium and a court of law has declared likewise; or

(d) Has refused to work and become unable to discharge his/her duties properly; or

(e) Who in the eyes of the Government has misused his office as Chairman or as a Member and whose continuance in office may fuound to be against public interest.

(4) But any person shall not be removed until he/she is given an apportunity of hearing before the State.

6. **Officers and other employee of the commission :—**

(1) The composition of the Commission shall be such as may be determined by the Government with the consent of the Commission and which is necessary for the efficient excution of its functions and duties under these rules.

(2) The Director or Public Instruction shall appoint officers/employees of the Commission of required ability on deputation till the regular appointment made by the Government.

(3) The salary, allowance and other conditions of the staff of the Commission shall be the same as their counterparts in the State Government.

(4) The Secretary of the Commission shall be given vehicle allowance for travel if the travel would be made by his/her own vehicle according to the prescribed rules and rates.

7. **Salary and Allowance shall be paid from the Grant :—**

(1) The salary, allowances and administrative expenses of the Chairman, Members, Secretary, Officers and Other Employees shall be made by the grant under sub-rule (1) of rule 14.

(2) The salary, allowances and other facilities of the Chairman and Members will be such as prescribed by the State Government.

(3) Travelling Allowance of person giving advice to the Commission :—A person shall have a right to get Travelling Allowance at the rates permissible to Class A Officers of the Government for the travel up to the office of the Commission, or the conference place and for the return journey as well. In Special cases, the Commission shall be able to grant additional Travelling Allowance/Honorarium in addition to the above eligibility from the fund available in the Commission.

8. **The Commission's proceeding shall not be declared invalid due to vacancies :—**Any act or proceedings of the Commission shall not be declared invalid merely by reason of any vacancy in or any defect in the constitution of the Commission.

9. **The Commission power to regulate its procedures :—**

(1) The Commission itself shall regulate its procedure.

(2) All orders and act of the Commission is to be attested by the Secretary or any other official duty authorized by the Secretary for this purpose.

10. **Committees of the Commission :—**

(1) The Commission shall have a permanent executive committee whose head will be the Chairman of the Commission.

(2) The Executive committee consists of the following ex-officio members :—

(a) Two other members nominated by the Chairman.

(b) Director of Public Instruction or its nominee.

(c) Three other officials from the related departments (Tribal Welfare, Panchayat and Rural and Urban Administration) nominated by the Government.

(3) The Secretary of the Commission shall be the organizer as well as Member Secretary of the executive committee.

(4) The acts of the executive committee shall be determined by the Commission.

11, **Meetings of the Commission :—**

(1) The meeting of the Commission will be held twice a year, which will be headed by the Chairman of the Commission. In the absence of the Chairman, any one member from the members present shall be chosen as Chairman.

(2) The date, place and time of the meeting is to be held as determined in previous meeting held by the consent of the Chairman and the information regarding this shall be conveyed at least 7 days earlier by the Secretary of the Commission.

(3) The Chairman may call special meeting time to time as required. Special meeting should also be held on any one member's request but the information of the meeting is to be conveyed three days before. The information regarding meeting shall contain date, time and place of the meeting.

(4) The information of the meeting shall be conveyed by the Secretary after the approval of the Chairman.

(5) Every member shall have the right of one vote only. If the votes are equal after counting, the Chairman's vote shall be final and binding.

CHAPTER-3
POWERS AND FUNCTIONS OF THE COMMISSION

12. **Functions of the Commission :—**The Commission carries out all or some of following functions :—

(a) To consider/examine the pay of all the teaching cadres related to school education and the inconsistencies therein and give suggestions with recommendations to the Government of Chhattisgarh, Department of School Education.

(b) To consider/examine the Government teaching cadre's service-conditions, leave and other facilities as well as other subjects possibly arising in future and make recommendations.

(c) To consider/examine the different problems/subjects presented by various teacher organizations regarding education, educational scenario and teacher-trainign related issues and make recommendations to the Government of Chhattisgarh, Department of School Education.

(d) All other functions entrusted to it by the State Government or those which it may take/present into cognizance/discretion and convey to the Government with its recommendation.

(e) The scope of the Commission shall have all teaching cadres of Tribal Welfare Department, Panchayat and Rural Development and Urban Administration and development in addition to the School Education Department.

13. **Powers of the Commission :—**The Commission shall have the following powers under sub-rule (1) of Rule 11 while carrying out its functions :—
(a) Expectation of presenting any document before the Commission.

(b) To expect to get any public-record or its copy from any court of law or office.

(c) Prescribed other subjects as authorized.

CHAPTER-4
FINANCE ACCOUNTING AND AUDIT

14. **Grant by State Government :—**
(1) After due appropriation, the State Government shall allocate suhc funds to the Commission as grants as it may think appropriate to be used for the purpose of these rules.

(2) To carry out the functions under these rules the Commission shall be able to spend such amount of fund as it may think appropriate and such amount of fund shall be considered or due expenditure in the specific grants in sub-rule (1).

15. **Accounts and Audit :—**The Commission shall keep proper account and other relevant records and shall conduct an annual audit of accounts and to present the audited report to the Government every year.

16. **Annual Report :—**The Commission shall prepare its annual report for each financial year containing detailed description of its entire activities during the previous financial year and send a copy of the same to the State Government.

17. **Payment procedure :—**
(1) The Commission shall have an official bank account at any Nationalized Bank.

(2) All bills shall be paid by cheque according to the prevailing Government procedure.

(3) To operate the bank account the Secretary shall have the power of withdrawal up to Rs. 20000/- by his/her own signature and for amount more than Rs. 20000/- shall be withdrawn by joint segnature of Chairman and the Secretary of the Commission.

CHAPTER-5
MISCELLANEOUS

18. **Chairman of the Commission, Members, Officials and Other Employees shall be Public Servants :—**
(1) The Chairman, Members and Office Bearers/Employees of the Commission shall be considered to be Public Servants as defined under Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act hno. 45 of 1860).

(2) No suit shall be mantainable under court of law against the Chairman, Member, any Office-bearer, or Employee of the Commission acting under the direction of these rules.

19. **Power to remove difficulties :—**If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these rules, the State Government may be order do anything not inconsistent with the provisions thereof which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

20. **Savings :—** Under these rules, any action taken by the State Government in pursuance of the recommendations made by the Chhattisgarh State Education Commission, it shall considered that it may done under the existing provisions of these rules.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार भटनागर, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 10-13/2017/16.—छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 33(2) (ठ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 11(2) दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रम कल्याण मंडल के पंजीकृत/अभिदायदाता कर्मचारी के लिए संचालित योजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

1. **शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना :—**

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना 2017" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत समस्त पंजीकृत संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के (बालक/बालिकाओं) को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रवृत्ति राशि निम्नानुसार प्रदाय की जावेगी :—

क्र. (1)	कक्षावार विवरण (2)	संशोधित वार्षिक छात्रवृत्ति वृद्धि राशि (छात्र/छात्राएं) (3)
1.	कक्षा 01 से 08 वीं तक	1500
2.	कक्षा 09 से 12वीं तक	3000
3.	स्नातक अध्ययन जैसे बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम/आई.टी.आई. डिप्लोमा नर्सिंग.	5000
4.	स्नातक स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि.	8000
5.	स्नातकोत्तर स्तर	10,000

(iii) योजना का प्रावधान छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) योजना के अंतर्गत श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत पंजीकृत/अभिदायदाता कर्मचारी की दो पुत्र/पुत्री को जो कक्षा 01 से जैसे बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम/आई.टी.आई., डिप्लोमा नर्सिंग, स्नातक स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि, स्नातकोत्तर स्तर को ही पात्रता होगी.

(ii) मंडल में पंजीकृत/अभिदायदाता श्रमिक की छात्र/छात्रा जिसने गत परीक्षा में 50 प्रतिशत् या अधिक प्राप्तांक अथवा ए 1 से सी प्लस ग्रेड तक प्राप्त किये हो को ही योजना का लाभ प्राप्त होगा.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ उपरांत मंडल द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु तिथि का निर्धारण पृथक से किया जावेगा.

(ii) आवेदन पत्र में नियोजन/स्कूल, कॉलेज द्वारा अध्ययनरत् कक्षा का सत्यापन के साथ आवेदक छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर होना चाहिए.

(iii) निर्धारित प्रारूप में आवेदन श्रम कल्याण मंडल में नियोक्ता के माध्यम से समयावधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा.

(iv) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को स्वीकृति या अस्वीकृत किये जाने का अधिकार कल्याण आयुक्त, छ.ग. श्रम कल्याण मंडल को होगा.

(द) **विसंगति का निराकरण :—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर मंडल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 10-14/2017/16.—छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 33(2) (ठ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 11(2) दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रम कल्याण मंडल के पंजीकृत/अभिदायदाता कर्मचारी एवं परिवारजनों के लिए निम्नानुसार योजना बनाई जाती है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना 2017" होगा.

(ii) इस योजना के अंतर्गत किसी औद्योगिक संस्थान/स्थापना में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों को विभिन्न ट्रेड का प्रशिक्षण जैसे-फिटर, टर्नर, मोल्डर, वेल्डर, ईलेक्ट्रीशियन, फर्नेन्स ऑपरेटर, इन्स्ट्रूमेन्टेंशन मैकेनिक, रेफ्रीजरेशन मैकेनिक इत्यादि एवं समय-समय पर राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मंडल द्वारा पंजीकृत कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जावेगा. ऐसे श्रमिक जो किसी स्थापना में वर्षों से अपने अनुभव के आधार पर कार्यरत है परन्तु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के प्रमाण-पत्र के अभाव में उन्हें कुशल श्रेणी से वंचित रखा गया है. इन कर्मचारी/उनके परिवारों के सदस्यों को भी प्रशिक्षण दिया जायेगा.

(iii) पंजीकृत संगठित कर्मचारी जिस ट्रेड में कार्य करते हैं उसका प्रमाण पत्र प्रदाय करना (Direct Certification)

(iv) ट्रेड वाईज आवश्यकतानुसार अंग्रेजी का प्रशिक्षण आवश्यक होगा.

(v) योजना के प्रावधान अनुरूप प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण की कार्यवाही की जावेगी.

(vi) इस योजना का लाभ संगठित क्षेत्र के समस्त पंजीकृत संस्थानों में कार्यरत पंजीकृत/अभिदायदाता श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों को प्रदाय किया जावेगा.

(vii) योजना के प्रावधान अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) आवेदक स्थापना का पंजीकृत/अभिदायदाता श्रमिक को एवं स्थापना द्वारा श्रम कल्याण मंडल में पंजीयन एवं अभिदाय जमा किया गया हो.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में मंडल कार्यालय में नियोक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार कल्याण आयुक्त, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल को होगा.

(ई) **विसंगति का निराकरण :—**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है. उस स्थिति में कल्याण आयुक्त छत्तीसगढ़ का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 10-15/2017/16.—छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 33(2) (ठ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 11(2) दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रम कल्याण मंडल के पंजीकृत/अभिदायदाता कर्मचारी के लिए संचालित योजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

1. **कन्या विवाह सहायता योजना :—**

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "कन्या विवाह सहायता योजना 2017" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत समस्त पंजीकृत संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों की एक पुत्री एवं संस्थानों में स्वयं कार्यरत महिला श्रमिक को रुपये 15,000/- की राशि मंडल द्वारा प्रदाय किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) योजना के अंतर्गत समस्त पंजीकृत संस्थानों में कार्यरत पंजीकृत/अभिदायदाता श्रमिक के एक पुत्री एवं संस्थानों में कार्यरत महिला श्रमिक जो मंडल के अंशदायी हैं. जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक की हो को पात्रता होंगी.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) आवेदक को विवाह के प्रस्तावित तिथि के एक माह पूर्व अथवा तिथि के 15 दिवस बाद तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन मंडल कार्यालय में जमा करना होगा.

(ii) आवेदन पत्र में हस्ताक्षर आवेदक श्रमिक अथवा श्रमिक की पुत्री का होना चाहिए.

(iii) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने का अधिकार कल्याण आयुक्त, छ.ग. श्रम कल्याण मंडल को होगा.

(द) **विसंगति का निराकरण :—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर मंडल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. केरकेट्टा, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 जुलाई 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	दहिदा प.ह.नं. 05	5.555	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्रमांक 01, खरसिया जिला रायगढ़.	साराडीह बैराज योजना के डूब हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल, रायपुर

क्वा. नम्बर-88, सेक्टर-2, गीतांजली नगर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2017

शुद्धि पत्र

क्रमांक/सी.जी./फार्मा./निर्वा./2017/23.—दिनांक 21 जुलाई, 2017 को इस कार्यालय से फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 19 के खण्ड (ए) के तहत काउन्सिल के 6 सदस्यों के निर्वाचन किये जाने हेतु जारी अधिसूचना जो कि नवभारत, दैनिक भास्कर तथा हरिभूमि के 22 जुलाई, 2017 के अंक में प्रकाशित हुआ था के प्रथम पैरा को संशोधित करते हुए निम्नानुसार पढ़ी जावे :—

चूंकि फार्मेसी एक्ट 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारा 19 के खण्ड (ए) के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य औषध निर्माण शाला परिषद् के लिए दिनांक 18-06-2012 को सम्पन्न 6 सदस्यों के निर्वाचन को राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 5-157/2013/कोर्ट/नौ/17-2 द्वारा दिनांक 30-01-2017 को शून्य घोषित कर दी गई.

आर. एस. मण्डावी,
रिटर्निंग आफिसर.